न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–321/2026
सिकटी थाना कांड संख्या– 137/2025

हुसनेरा खातून उर्फ हुस्ने आरा.....आवेदिका
बनाम
राज्य सरकार

आदेश

12-03-2026 आवेदिका/अभियुक्त हुसनेरा खातून उर्फ हुस्ने आरा की ओर से अपनी गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर बी0एन0एस0एस0 की धारा 482 के अन्तर्गत दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन, जो सिकटी थाना कांड संख्या– 137/2025, अंतर्गत धारा–115(2), 126(2), 109, 352, 3(5) भा0न्या0सं0 से संबंधित है, को आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार सिंह एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री राजानंद पासवान को सुना।

संक्षेप में अभियोजन वाद सूचक मो0 जुनेद आलम के अनुसार यह है कि दिनांक 27.07.2025 को समय करीब 2 बजे दिन में उसका भाई रफीद आलम घर से कालू चौक जा रहा था कि प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तगण ने उसे गमछा लगाकर आंगन ले गया और लाठी–डंडा से वार करने लगा। अभियुक्त सं0 1 ने उसके भाई के सर में तलवार धॅसा दिया जिससे वह खून से लथ–पथ होकर गिर गया।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदिका निर्दोष है और कोई घ ाटना कारित नहीं किया है। आवेदिका के द्वारा इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई भी जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल किया गया है। आवेदिका का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदिका को गलत तरीके से इस वाद में फंसाया गया है। अभियोजन की कहानी बिल्कुल गलत एवं मनगढ़ंत है। आवेदिका को पूर्व दुश्मनी एवं ग्रामीण राजनीति के कारण झूठा फंसाया गया है। आवेदिका का सह–अभियुक्त से कोई सरोकार नहीं है। अन्य अभियुक्त को ए0बी0पी0 2116/2025 में माध्यम से जमानत दिया जा चुका है। उपरोक्त कथनों के साथ आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदिका को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करने की प्रार्थना किया है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते है।

दोनों पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका के विरूद्ध प्रत्यक्ष रूप से कोई जख्म कारित करने का आरोप नहीं लगाया गया है तथा जख्म रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि दो जख्म के अलावा अन्य कोई जख्म कारित न होने की बात अंकित की गयी है और जिसके लिए अन्य सह–अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप लगाया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदिका का अग्रिम जमानत आवेदन इस शर्त के साथ **स्वीकृत** किया जाता है कि वह आरोप निर्माण तक सदेह उपस्थित रहेगी। आवेदिका को आदेश की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर गिरफ्तार होने अथवा न्यायालय में आत्मसमर्पण करने पर रू 10,000/– (दस हजार रूपये) एवं समान राशि के दो प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र संबंधित न्यायालय में दाखिल करने पर एवं संबंधित न्यायालय के संतुष्टि पर धारा–482(2) बी0एन0एस0एस0 की शर्तों के अनुपालन करने पर, आवेदिका को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित)

Sd/-
(मनोज कुमार तिवारी)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।